

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक-07.10.2023

संख्या-12/प0 (मू0को0)-405/2014 सा0प्र0-18867/बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि एवं उप सचिव स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों को वर्तमान में धारित पद से स्थानांतरित करते हुए/सेवा वापस लेते हुए उनके नाम के समक्ष स्तर-4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

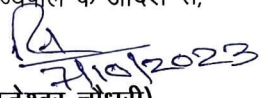
क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती भारती राज, 933/23, पटना।	वरीय उप समाहर्ता, जमुई।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, राजगीर, नालंदा।
2	श्रीमती पूजा कुमारी, 977/23, पटना।	वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	वरीय उप समाहर्ता, पटना।
3	श्रीमती रत्ना प्रियदर्शिनी, 900/23, पटना।	वरीय उप समाहर्ता, जहानाबाद।	वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद।
4	श्री प्रशान्त अभिषेक, 748/23, नालंदा।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा सदर।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोपालगंज सदर।
5	श्रीमती प्रियंका सिन्हा, 952/23, नालंदा।	वरीय उप समाहर्ता, नवादा।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज।
6	श्री विश्वजीत कुमार, 903/23, नालंदा।	वरीय उप समाहर्ता, नवादा।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, टेकारी, गया।
7	श्रीमती अंशु कुमारी, 936/23, जमुई।	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा।	वरीय उप समाहर्ता, गया।
8	श्रीमती अमृता ओशो, 894/23, वैशाली।	वरीय उप समाहर्ता, गया।	वरीय उप समाहर्ता, रोहतास, सासाराम।
9	मो० नवाजिश अख्तर, 734/23, बांका।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया सदर।	विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
10	श्रीमती रचना सिन्हा, 837/23, गोपालगंज।	वरीय उप समाहर्ता, वैशाली।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, शिवहर।
11	श्रीमती प्रियंका कुमारी, 1059/23, पूर्वी चम्पारण।	वरीय उप समाहर्ता, सिवान।	वरीय उप समाहर्ता, दरभंगा।

12	श्रीमती सुनीता कुमारी, 889/23, कटिहार।	वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ।	वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज।
13	श्रीमती दीपिका कश्यप, 1040/23, जहानाबाद।	वरीय उप समाहर्ता, भोजपुर।	वरीय उप समाहर्ता, वैशाली।
14	श्रीमती निकिता, 847/23, पटना।	वरीय उप समाहर्ता, जहानाबाद।	वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा।
15	श्री पंकज कुमार घोष, 920/23, पटना।	वरीय उप समाहर्ता, जहानाबाद।	वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा।
16	श्रीमती अर्शी शाहिन, 735/23, सिवान।	अपर अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा सदर।	वरीय उप समाहर्ता, पटना।
17	श्रीमती मीनाक्षी, 928/23, मधेपुरा।	वरीय उप समाहर्ता, पूर्णियाँ।	वरीय उप समाहर्ता, भागलपुर।
18	श्री बालेन्दु नारायण पाण्डेय, 1047/23, प0 चंपारण।	वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, झंझारपुर, मधुबनी।
19	डॉ० राज कुमार सिन्हा, 1052/23, औरंगाबाद।	वरीय उप समाहर्ता, पश्चिम चंपारण।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा सदर।
20	श्री मृत्यंजय कुमार, 892/23, रोहतास।	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, आरा सदर, भोजपुर।
21	श्रीमती सोनाली, 832/23, सीतामढ़ी।	वरीय उप समाहर्ता, वैशाली।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना।
22	श्रीमती नीलम कुमारी, 856/23, प0 चंपारण।	वरीय उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना सदर।
23	श्री सुमन कुमार, 801/23, नालंदा।	अपर अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर, पूर्वी चंपारण।	विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
24	श्री रविन्द्र नाथ गुप्ता, 318/23, वैशाली।	जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
25	श्रीमती मोनिका ठाकुर, 595/23, पूर्णियाँ।	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना सदर।	विशेष कार्य पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।
26	श्री विनोद कुमार, 657/23, भोजपुर।	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर।	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल।
27	श्रीमती अमृता प्रीतम, 1053/23, वैशाली।	वरीय उप समाहर्ता, समस्तीपुर।	विशेष कार्य पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना।

28	श्रीमती श्वेता प्रियदर्शी, 1098/23, मुजफ्फरपुर।	परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता, सीतामढ़ी।	परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद।
29	श्रीमती आरूप, 969/23, लखीसराय।	वरीय उप समाहर्ता, गया।	विशेष कार्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

(2) क्रमांक-02, 03, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एवं 17 पर अंकित वरीय उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं। साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

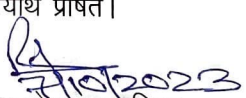
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-12/प0 (मू0को0)-405/2014 सा0प्र0-18867/पटना-15, दिनांक-07.10.2023.

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/आप्त सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/अपर मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2, 8, 27 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।